

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :  
(क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सहायक आयुक्तों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की भरने के संबंध में कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

राजस्थान में नवोदय विद्यालयों में जल और विद्युत आपूर्ति में सुधार करना

2857- श्री अ० एस० राजू :

श्री मोहिन्दराम भिरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई नवोदय विद्यालयों के भवनों और इनके आवासीय खंडों में विद्युत और जल की सतत् रूप से आपूर्ति नहीं है जिससे इन विद्यालयों में अध्ययन में बाधा पड़ती है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे नवोदय विद्यालयों का न्योरा क्या है ;

(ग) क्या नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय विद्यालय, मंडाफिया, (राजस्थान, चित्तौड़गढ़) और ऐसे ही अन्य विद्यालयों में विद्युत और पेयजल की अल्पव्यवस्थित आपूर्ति को सुधारने के लिये कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी न्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :  
(क) और (ख) जी, नहीं। नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि उनके विद्यालयों में बिजली और पानी की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तथापि, विद्यालय की स्थायी इमारत के निर्माण की संवीकृति देते समय, समिति ने 200 के० बी० एस० के ट्रांसफार्मर और 135 किलो लीटर क्षमता वाली उपरी जल की टंकी को लगाने का भी प्रावधान किया है ताकि बिजली और पानी की लगातार पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) जवाहर नवोदय विद्यालय, मंडाफिया, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस विद्यालय में 63 के० बी० एस० का ट्रांसफार्मर पहले ही लगाया जा चुका है। 140 के० बी० एस० का ट्रांसफार्मर लगाकर

बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, समिति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 10 के० बी० एस० का जनरेटर सेट भी दे रही है।

जहाँ तक जल पूर्ति योजना का संबंध है, यह पूर्ति वहाँ पर पहले से ही लगाए गए एक नलकूप के माध्यम से उपलब्ध है। इस जलपूर्ति योजना में ऊपरी जल टैंक, अतिरिक्त नलकूप, जल वितरण लाइनें और भूमिगत जल संग्रह टंकी की योजना बनाई गई है और यह कार्य शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

#### ICDS for Self Employed Children

2858. SHRIMATI CHANDRAKALA PANDEY:  
SHRIMATI SARLA MAHE-SHWARI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to extend the Integrated Child Development Scheme to self-employed children and those living below the poverty line;

(b) if so, whether that would include children involved in rag picking, carpet weaving, beedi making and cracker making amongst others;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of the number of projects and beneficiaries covered under the schemes during the last three years, state-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD WELFARE) (SMT. BASA-VA RAJESWARI): (a) The Scheme of Integrated Child Development Services (ICDS) launched in 1975-76 offers an integrated package of services aimed at most deprived and vulnerable sections of society, namely, pre-school children aged 0—6 years and expectant and nursing mothers in habited in rural and tribal areas and urban slums. The Scheme has expended over the years and during 1994-95, the target is to sanction 200 new ICDS projects. New projects are sanctioned in the various States and Union Territories on the basis of concentration of Scheduled Cast/Scheduled Tribe population as well as people living below the poverty line.

(b) and (c) The services under ICDS programme are provided to children in the age group of 0—6 years without discriminating on the basis of their work.

(d) A Statement showing State-wise number of sanctioned projects and beneficiaries covered under the scheme during the last 3 years is annexed.

